फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर

कालूराम बनाम गीतादेवी वगै0

मुकदमा संख्या : 28/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11.11.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादांकित भूमि के संबंध में पत्रावली मे जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश 04.04.2023 को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक कन्फर्म किया जावें। जिससें वादांकित भूमि किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नही हो सकें। पत्रावली का अवलोकन करने व बहस का मनन करे पर प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 04.04.2023 को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक कन्फर्म करना उचित समझते है। अतः पत्रावली में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 04.04.2023 को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक ताफैसला कन्फर्म किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूति मूल वाद के साथ हर्माफिता हो।	